मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 14 मई, 2010 (वैशाख 24, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री गोविन्द मिश्रा, माननीय सांसद, श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा तथा श्री सुन्दरलाल पटवा, पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत किया गया।

2. संकल्प

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 11 मई, 2010 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर पुनर्ग्रहीत चर्चा (क्रमशः)

"इस सदन का यह मत है कि राज्य का ऐसा सर्वांगीण एवं समावेशी विकास हो, जिससे प्रदेशवासियों का जीवन उत्तरोत्तर समृद्ध एवं खुशहाल बने तथा उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कार्य करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अवसर प्राप्त हो. ऐसे स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए माननीय सदस्यगण से सुझाव प्राप्त करने तथा उन सुझावों के यथोचित क्रियान्वयन के लिए यह संकल्प प्रस्तुत है.".

संकल्प पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(77) श्री मानवेन्द्र सिंह

(78) श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू"

(79) श्रीमती ललिता यादव

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

(80) श्री खुमान सिंह शिवाजी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(81) श्री राघवजी, वित्त मंत्री

3. संशोधित संकल्प

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 को प्रस्तुत किये गये स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण सम्बन्धी संशोधित संकल्प की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने संकल्प पर चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्यों के सुझावों के आधार पर स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण संबंधी संशोधित संकल्प को 70 बिन्दुओं में (केन्द्र को अनुशंसा सहित) प्रस्तुत किया। (परिशिष्ट-ख)

स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण सम्बन्धी यथा संशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

4. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर यह उद्‌गार व्यक्त किये गये :-

"यह चार दिवसीय सत्र अब समापन की ओर अग्रसर है। इस सत्र की चार बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए लाए गए संकल्प पर चर्चा हुई। जिसमें 81 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने सुझाव दिए। इसके साथ ही लगभग 71 सदस्यों ने लिखित में भी अपने सुझाव दिये, उनमें से कुछ सदस्यों ने पहले चर्चा में मौखिक सुझाव दिये और बाद में लिखित में भी सुझाव दिये। सदन ने देर तक बैठकर इस संकल्प पर चर्चा की और कुल 23 घंटे 45 मिनिट तक सदन की कार्यवाही चली।

मेरी और हम सबकी यही अपेक्षा थी कि प्रमुख विपक्षी दल भी इस अवसर पर उपस्थित रहता और अपने बहुमूल्य सुझाव सदन में रखता। हमने इस हेतु यथासंभव प्रयास भी किए किन्तु निराशा ही हाथ लगी। लोकतंत्र में मत भिन्नता होना स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक भी है क्योंकि इसी से तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आता है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में विचार-विमर्श से ही समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। अतः मेरा मानना है कि संसदीय लोकतंत्र का ध्वजवाहक होने के नाते प्रत्येक जनप्रतिनिधि का यह दायित्व है कि वह उसको उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए, अपना सर्वोत्तम वैचारिक सहयोग दे।

दिनांक 12 मई, 2010 को जो कुछ एक महिला सदस्य के साथ हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इससे हम सभी बहुत व्यथित हुए। विधायिका का सदस्य होने के कारण हमको अतिरिक्त सजगता और संयम बरतते हुए मर्यादा और नियमों का पालन करना होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रदेश की मार्गदर्शक संस्था है जहां प्रदेश को चलाने वाले अधिनियम और नियम बनते हैं। हमसे सार्वजनिक मंच और विधायिका के फोरम के अंतर को समझते हुए शालीन, अनुशासित, सभ्य और शिष्ट कार्य-व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस गौरवशाली विधान सभा की उच्च परम्पराएं और स्वर्णिम इतिहास खंडित न हो।

इस अल्प अवधि के सत्र में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रियों, माननीय सदस्यों और सभापति तालिका के सदस्यों का जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े सभी महानुभावों को भी धन्यवाद् देता हूँ, जिन्होंने सदन की पल-प्रतिपल की कार्यवाही को जनता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मैं विधान सभा सचिवालय और शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षाकर्मियों को भी उनके सहयोग के लिये धन्यवाद् देता हूँ।

मैं अपनी और समस्त सदन की ओर से प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनकी सुख-समृद्धि की कामना करता हूँ। अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे। धन्यवाद्।

श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, श्री लक्ष्मण तिवारी एवं पारस दादा सकलेचा, सदस्यगण तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने भी समापन अवसर पर विचार व्यक्त किए।

5. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान **"जन-गण-मन"** का समूह गान किया गया।

अपराह्न 1.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 14 मई, 2010